

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 140/2023-24

दिनांक : 25.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मेवा राम,
वार्ड नं० 02, नियर चामुण्डा मन्दिर, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मेवा राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-891B325217398 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू० 1695.00 का जारी किया गया है जिसके भुगतान हेतु ऑनलाईन ऐप पर देखा गया तो विभाग की साइट यू०पी०सी०एल० पर भुगतान हेतु रू० 2196.00 दिखाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिलों की जांच कराकर सही बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रूद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 24.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-3441 दिनांक 22.09.2023 के

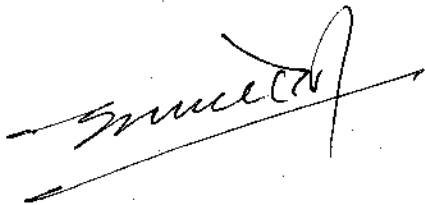
क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को प्राप्त माह 08/2023 का विद्युत बीजक आर0डी0एफ0 के आधार पर निर्गत किया गया था। उक्त निर्गत विद्युत बीजक को बाद में बिलिंग हिस्ट्री के आधार पर आरडीएफ से मीटर यूनिट में संशोधित किया गया, जिसके संबंध में परीक्षण खण्ड रुद्रपुर द्वारा बिलिंग हिस्ट्री में दिनांक 18.08.2023 को संशोधन का लेखा दर्ज किया गया है। इसके उपरान्त परिवादी का माह 09/2023 का विद्युत बीजक रू0 4125.00 का निर्गत किया गया है, जोकि विभागीय नियमानुसार रीडिंग का बिल है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

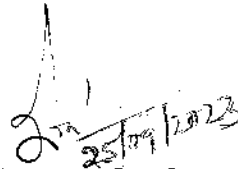
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा माह 08/2023 में परिवादी को आरडीएफ के आधार पर रू0 1695.00 का बिल निर्गत किया गया था, जिसे बाद में विपक्षी विभाग द्वारा अपने बिलिंग साफ्टवेयर के माध्यम से नियमानुसार मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित कर रू0 2196.00 का बना दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर लेजर के अनुसार माह 09/2023 के बिल की धनराशि रू0 1929.00 को जोड़ते हुए विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में परिवादी को कुल रू0 4125.00 का विद्युत बिल निर्गत किया गया है, जोकि सही एवं विभागीय नियमानुकूल है तथा उक्त बिल पर परिवादी की देयता बनती है।

आदेश

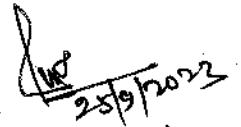
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य